

न्यायालय :-मनीष कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-बालाघाट

// विविध आदेश //

क्रमांक-122/मु.न्या.मजि./2026

बालाघाट, दिनांक 20/02/2026

माह मार्च, 2026 के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कॉलम क्रमांक-2 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टॉफ सहित दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उस सार्वजनिक अवकाश दिनांक को प्रस्तुत किये जायेंगे, निष्पादित करेंगे तथा कॉलम नम्बर-2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति या अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर-4 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

क.	रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	सार्वजनिक अवकाश/रिमांड ड्यूटी की तिथि	वैकल्पिक व्यवस्था में रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
बालाघाट मुख्यालय			
1	श्रीमती तारा मार्को, Jmfc.Bgt.	27, 29 एवं 31 मार्च, 2026	श्री अविनाश छारी, Jmfc.Bgt.
2	श्री अविनाश छारी, Jmfc.Bgt.	1, 3 एवं 4 मार्च, 2026	सुश्री शीनी जैन, Jmfc.Bgt.
3	श्रीमती शिखा शर्मा, Jmfc.Bgt.	7, 8 एवं 15 मार्च, 2026	श्री शुभम जैन, Jmfc.Bgt.
4	सुश्री शीनी जैन, Jmfc.Bgt.	19 एवं 20 मार्च, 2026	श्रीमती शिखा शर्मा, Jmfc.Bgt.
5	श्री शुभम जैन, Jmfc.Bgt.	21 एवं 22 मार्च, 2026	श्रीमती तारा मार्को, Jmfc.Bgt.
तहसील वारासिवनी			
1	श्रीमती दिव्या सिंह, Jmfc.Waraseoni	7, 8 एवं 31 मार्च, 2026	ऋषभ डॉनल सिंह, Jmfc.Waraseoni
2	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, Jmfc.Waraseoni	1, 3 एवं 4 मार्च, 2026	श्रीमती दिव्या सिंह, Jmfc.Waraseoni
3	सुश्री नेहा बाथरी, Jmfc.Waraseoni	15, 27 एवं 29 मार्च, 2026	श्री देवांश यादव, Jmfc.Waraseoni
4	श्री देवांश यादव, Jmfc.Waraseoni	19, 20, 21 एवं 22 मार्च, 2026	सुश्री नेहा बाथरी, Jmfc.Waraseoni
तहसील बैहर			
1	श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar.	1, 3, 4, 7, 27, 29 एवं 31 मार्च, 2026	श्री संजय शाक्य, Jmfc.Baihar.
2	श्री संजय शाक्य, Jmfc.Baihar.	8, 15, 19, 20, 21 एवं 22 मार्च, 2026	श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar.
तहसील कटंगी			
1	श्रीमती नेहा ठाकुर, Jmfc.Katangī	1, 3, 4, 7, 8, 15 19, 20, 21, 22, 27, 29 एवं 31 मार्च, 2026	तहसील न्यायालय वारासिवनी में रिमांड ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट।
तहसील लांजी			
1	श्री प्रीतम शाह, Jmfc.Lanji	1, 3, 4, 7, 8, 15 19, 20, 21, 22, 27, 29 एवं 31 मार्च, 2026	जिला न्यायालय बालाघाट में रिमांड ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट।

नोट:-

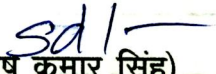
01. किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण/अवकाश में होने पर उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी, कार्य-विभाजन पत्रक के परिशिष्ट-ब के अनुसार इंचार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित की जावेगी।

02. यदि किसी कारणवश माह मार्च, 2026 में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो उक्त घोषित अवकाश तिथि को बालाघाट मुख्यालय का रिमांड कार्य श्रीमती शीनी जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट, तहसील मुख्यालय वारासिवनी का रिमांड कार्य श्री देवांश यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी, तहसील मुख्यालय बैहर का रिमांड कार्य श्री संजय शॉक्क न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, तहसील मुख्यालय कटंगी का रिमांड कार्य श्रीमती नेहा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी एवं तहसील मुख्यालय लांजी का रिमाण्ड कार्य श्री प्रीतम शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लांजी के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

03. यदि किसी कारणवश माह मार्च, 2026 में नियत अवकाश पर कटंगी, लांजी एवं बैहर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य आ जाने से वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसील मुख्यालय कटंगी का रिमाण्ड कार्य तहसील मुख्यालय वारासिवनी में रिमाण्ड सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा तहसील मुख्यालय लांजी एवं बैहर (तहसील मुख्यालय बैहर में वैकल्पिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर) का रिमाण्ड कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में रिमांड कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

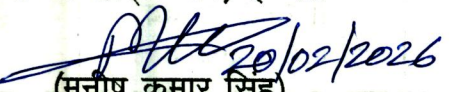
04. यदि किसी कारणवश माह मार्च, 2026 में किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट से संबंधित रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

05. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दौरान लगाई गई है और उन्हें उक्त अवकाश दिवस में आवश्यक कार्य आ जाने से अवकाश के दौरान मुख्यालय के बाहर जाना है तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति अपने अवकाश आवेदन पत्र में लिखाये जाने के पश्चात् ही तथा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकृत होने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जावें।


(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स-अप एवं ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- कम्प्यूटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स-अप/ई-मेल द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित करने हेतु प्रेषित।


(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)